

Integrated Goods and Services Tax

(Amendment) Bill, 2023

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI

NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move*:

?That the Bill further to amend the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, be taken into consideration.?

m02 माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

?कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

?That the Bill be passed.?

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि विधेयक पारित किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही 1 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है ।

13.14 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes
past Thirteen of the Clock.*

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

Introduced with the recommendation of the President.

Introduced with the recommendation of the President.

* Moved with the recommendation of the President.

* Moved with the recommendation of the President.